राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या – 1282/2014/चित्तौड़गढ़.

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, वार्ड–द्वितीय, चित्तौड़गढ़. .....अपीलार्थी.

बनाम

मैसर्स हिन्दुस्तान जिंक कर्मचारी सहकारी उपभोक्ता भण्डार,
जिंक नगर, चित्तौड़गढ़. .....प्रत्यर्थी.

एकलपीठ
श्री मनोहर पुरी, सदस्य

उपस्थित : :

श्री आर. के. अजमेरा,
उप राजकीय अभिभाषक .....अपीलार्थी की ओर से.

श्री वी. सी. सोगानी, अभिभाषक .....प्रत्यर्थी की ओर से.

दिनांक : 09/12/2015

निर्णय

1. यह अपील राजस्व द्वारा अतिरिक्त आयुक्त, अपीलीय प्राधिकारी, वाणिज्यिक कर विभाग, उदयपुर (जिसे आगे **'अपीलीय अधिकारी'** कहा गया है) के अपील संख्या 03/वेट/13–14/चित्तौड़गढ़ में पारित किये गये आदेश दिनांक 13.02.2014 के विरूद्ध राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे **'वेट अधिनियम'** कहा जायेगा) की धारा 83 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गयी है। अपीलीय अधिकारी ने उक्त आदेश से सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, घट–द्वितीय, चित्तौड़गढ़ (जिसे आगे **'कर निर्धारण अधिकारी'** कहा जायेगा) द्वारा प्रत्यर्थी व्यवहारी की आलौच्य अवधि वर्ष 2006–07 के लिये वेट अधिनियम की धारा 24 के तहत पारित किये गये कर निर्धारण आदेश दिनांक 31.03.2009 के विरूद्ध प्रस्तुत अपील को स्वीकार करते हुए प्रकरण पुनः कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित किया है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा प्रत्यर्थी व्यवहारी के वर्ष 2006–07 के लिये वेट अधिनियम की धारा 24 के तहत एकपक्षीय कर निर्धारण आदेश दिनांक 31.03.2009 को पारित किया गया। प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा कर निर्धारण अधिकारी के उक्त आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी अपील में, अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेश दिनांक 13.02.2014 से प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया गया कि प्रत्यर्थी व्यवहारी को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करने के उपरान्त विधिसम्मत आदेश पुनः पारित किया जावे। अपीलीय अधिकारी के उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलार्थी राजस्व द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गयी है।

लगातार.....2

3. बहस के दौरान अपीलार्थी विभाग की ओर से विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि व्यवहारी को सुनवाई हेतु नोटिस तामील होने के बावजूद व्यवहारी की ओर से नियत दिनांक को किसी के उपस्थित नहीं होने पर कर निर्धारण अधिकारी द्वारा प्रकरण में एकतरफा कार्यवाही करते हुए आदेश पारित किये जाने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की गयी है। अपीलीय अधिकारी ने प्रकरण के तथ्यों एवं रेकॉर्ड का समुचित अवलोकन किये बिना आदेश पारित किया गया है। उक्त कथन के साथ विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक द्वारा राजस्व की अपील स्वीकार किये जाने का अनुरोध किया गया।

4. प्रत्यर्थी के विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा विवादित आदेश पारित किये जाने से पूर्व अपीलार्थी व्यवहारी को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किये बगैर आदेश पारित किये गये हैं, जो कि प्रथम दृष्टया विधिविरूद्ध होने से अपास्त योग्य था। अपीलीय अधिकारी ने प्रकरण के तथ्यों तथा विधिक प्रावधानों का समुचित अवलोकन करने के उपरान्त अपीलाधीन आदेश पारित करते हुए प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को पुनः आदेश पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित किये जाने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की गयी है। उक्त कथन के साथ विद्वान अभिभाषक द्वारा राजस्व की अपील अस्वीकार किये जाने का अनुरोध किया गया।

5. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

6. प्रकरण में कर निर्धारण अधिकारी की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा प्रत्यर्थी व्यवहारी की आलौच्य अवधि वर्ष 2006–07 के कर निर्धारण के लिये नोटिस दिनांक 09.05.2008 सुनवाई दिनांक 24.05.2008 के लिये जारी किया गया, जो कि मैनेजर संजय द्वारा दिनांक 15.05.2008 को प्राप्त किया गया। आगामी नोटिस 21.11.2008 सुनवाई दिनांक 16.12.2008 के लिये जारी किया गया, उक्त नोटिस तामील होना नहीं पाया जाता है। किन्तु उक्त नोटिस की पालना में प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा दिनांक 16.12.2008 को जवाब प्रस्तुत करते हुए आगामी दिनांक के लिये निवेदन किया गया, जिसे कर निर्धारण अधिकारी द्वारा स्वीकार करते हुए प्रकरण में आगामी दिनांक 30.12.2008 नियत की गई। किन्तु सुनवाई दिनांक को प्रत्यर्थी व्यवहारी की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ। इस पर कर निर्धारण अधिकारी द्वारा प्रकरण में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाते हुए, प्रकरण में दिनांक 31.03.2009 को एकपक्षीय कर निर्धारण आदेश पारित किया गया है।

लगातार.....3

7. प्रकरण की परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुए यह स्पष्ट है कि प्रकरण में प्रत्यर्थी व्यवहारी को सुनवाई का समुचित अवसर प्राप्त नहीं हुआ है। ऐसी स्थिति में अपीलीय अधिकारी द्वारा कर निर्धारण अधिकारी द्वारा के एकपक्षीय पारित आदेश को अपास्त करते हुए प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को प्रत्यर्थी को सुनवाई का अवसर प्रदान किये जाने तथा पुनः कर निर्धारण आदेश पारित किये जाने हेतु प्रतिप्रेषित किये जाने में कोई त्रुटि किया जाना प्रतीत नहीं होता है।

8. परिणामस्वरूप अपीलार्थी राजस्व की अपील अस्वीकार करते हुए, अपीलीय आदेश दिनांक 13.02.2014 की पुष्टि की जाती है।

9. निर्णय सुनाया गया।

09/12/2015

(मनोहर पुरी)
सदस्य